भोपाल | रविवार | 18 अक्टूबर 2026 | वर्ष 70 | अंक 266 | पृष्ठ 12+4=16 | मूल्य रु. 6.00
navabharat.com | twitter.com/Nava_Bharat | fb.me/NavaBharat.Social

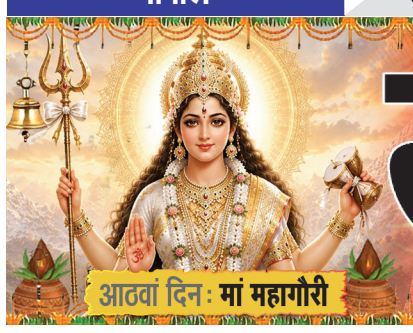

नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी
१९३४ से

भ्रष्ट निकल रहे मुलाजिम, प्रदेश हो रहा बदनाम

तंत्र के हर सिरे में फैला रिश्वतखोरी का जहर, 10 माह में 2155 मामलों में जांच, करोड़ों की अवैध संपत्ति उजागर

टीम नवभारत

भोपाल, 17 अक्टूबर. सुशासन के तमाम दावों और प्रयासों के बाद भी प्रदेश में भ्रष्टाचार का दायरा लगातार फैल रहा है. सरकारी महकमों में रिश्वतखोरी से लेकर करोड़ों की बेहिसाब संपत्ति तक के मामले इसके प्रमाण हैं. साथ ही यह भी स्पष्ट करते हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिशें नाकाफी हैं. हालात यह हैं कि क्लर्क और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी मुलाजिम करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर रहे हैं. मामले दर्ज हो रहे हैं. सजा हो रही है. साथ ही साल दो साल में बहाली भी दिख रही है. बावजूद अब तक एक भी मामले में यह उजागर नहीं हुआ कि भ्रष्ट तंत्र की जड़ का अंतिम छोर कहां है. इंदौर में प्रधान आरक्षक फिरोज खान के पास करीब 35 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति. परिवहन विभाग के आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति और निवेश की जांच ने सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के फैलाव को उजागर किया है. पिछले तीन माह में ही पूरे प्रदेश में लोकायुक्त ने दर्जन भर से ज्यादा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है. इतनी ही कार्रवाई विभिन्न शिकायतों पर आय से अधिक संपत्ति के मामलों में हुई है. एनसीआरबी के 2024 के आंकड़ों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 237 प्रकरणों के साथ प्रदेश देश में आठवें स्थान पर रहा. लोकायुक्त के 307 मामलों में अभियोजन स्वीकृति लंबित होना इस तस्वीर को और गंभीर बनाता है.

नवभारत पड़ताल

जुलाई 2026 तक 1130 कोर्ट में विचाराधीन

सजा पड़ी, फिर भी नौकरी में बने रहे

वर्ष 2002 से फरवरी 2024 के बीच 1907 अधिकारी-कर्मचारियों को कोर्ट, संबंधित विभागों से सजा पड़ी. फिर भी वह नौकरी में बने रहे. करप्शन साबित होने के बावजूद वह नौकरी करते रहे. हालात यह हैं कि कोर्ट किसी कर्मचारी को सजा सुनाती है तो वह अपील में चला जाता है. जमानत लेकर फिर नौकरी करने लगता है.

केस 01 जनवरी 2025 में परिवहन विभाग के आरक्षक सौरभ शर्मा के भोपाल, ग्वालियर पर लोकायुक्त ने रेड मारी, 100 करोड़ की प्रापर्टी मिली. बाद में ईडी, इंकम टैक्स विभाग ने जांच ली. पूरे मामले में विभाग के किसी अधिकारी का नाम सामने नहीं आया.

केस 02 अगस्त 2024 में भोपाल विकास प्राधिकरण के बाबू तारक चंद दास को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया. बाद में 30 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ. आय से सैकड़ों गुना प्रॉपर्टी खुलासा हुआ. जांच में आगे की कड़ी लोकायुक्त टीम नहीं जोड़ पाई.

केस 03 अक्टूबर 2024 में उच्च शिक्षा विभाग के ऑडिटर रमेश हिंगोरानी के ठिकानों पर लोकायुक्त टीम ने रेड मारी. करीब 90 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ. हिंगोरानी से अब तक बेहिसाब दौलत का स्रोत एजेंसी नहीं पता लगा सकी.

अफसरों के प्रकरण लंबित

अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित मामलों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के प्रकरण भी शामिल हैं. इनमें प्रमुख नाम सामान्य प्रशासन विभाग में सेवानिवृत्त आईएएस वेदप्रकाश, विवेक सिंह तत्कालीन नगर निगम आयुक्त ग्वालियर, शिवशेखर शुक्ला तत्कालीन कलेक्टर उज्जैन, अजातशत्रु श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) तत्कालीन कलेक्टर उज्जैन समेत अन्य हैं.

नगालैंड में भ्रष्टाचार के शून्य केस

एनसीआरबी की 2024 रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नगालैंड में 2024 के दौरान कोई मामला दर्ज नहीं हुआ. इसकी बड़ी वजह नगालैंड सरकार ने सतर्कता मंजूरी की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए ई-विजिलेंस पोर्टल बना रखा है. राज्य सतर्कता आयोग है. हर विभाग में सतर्कता अधिकारी नियुक्ति है, जो भ्रष्टाचार पर नजर रखता है.

307 प्रकरणों में केस की अनुमति अटकी

जनवरी 2020 से 21 जून 2026 तक लोकायुक्त की शिकायत एवं जांच शाखा और तकनीकी शाखा में कुल 2,155 प्रकरणों की जांच पूरी की गई. इसी अवधि में लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना ने 1,318 मामलों में विवेचना पूरी की. इनमें 1,302 मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए संबंधित विभागों और सक्षम अधिकारियों को प्रस्ताव भेजे गए. 985 मामलों में मंजूरी मिल गई, लेकिन बाकी मामलों में प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. वर्तमान में 307 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृत लंबित है. इन मामलों में मंजूरी नहीं मिलने से अदालत में चालान पेश करने की कार्रवाई अटकी हुई है.

भ्रष्टाचार अधिनियम की जिन धाराओं में केन्द्रीय एजेंसियां आरोपी अधिकारियों को गिरफ्तारी, रिमांड पर लेती हैं, वहीं स्टेट की एजेंसियां औपचारिक गिरफ्तारी करती हैं. विभाग से निलंबन की कार्रवाई के बाद आरोपी बहाल हो जाता है. कई मामलों में अभियोजन की स्वीकृत भी आरोपी कर्मचारी के सेवानिवृत्त के बाद दी जाती है. इससे करप्शन करने वाले कर्मचारियों में डर कम हुआ है.
– जगदीश गुप्ता, क्रिमिनल लॉयर

स्पेशल ड्राइव चलाकर 240 केस फाइनल किए गए हैं. ट्रैप के ये मामले पांच साल या उससे अधिक पुराने हैं. इनमें से 67 मामलों को अभियोजन स्वीकृति के लिए संबंधित अफसरों और विभागों को भेज भी दिया गया है और अगले 10-12 दिनों के भीतर शेष बचे लंबित मामलों में भी विभागो और अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए जाएंगे.
–योगेश देशमुख, डीजी, विशेष पुलिस स्थापना

लोकायुक्त के ट्रैप केस

2022-23	238 ट्रैप केस
2023-24	162 ट्रैप केस
2024-25	215 ट्रैप केस
2025-26	222 ट्रैप केस

सबसे भ्रष्ट 10 राज्यों में मप्र शामिल

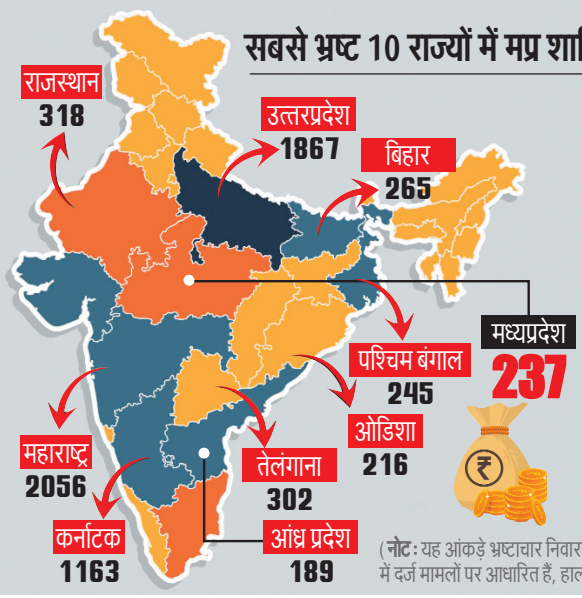

नगरीय प्रशासन स

नगरीय विकास एवं आवास :	36
पंचायत एवं ग्रामीण विकास :	15
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण :	12
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) :	11
लोक निर्माण विभाग :	10
राजस्व विभाग :	06
जल संसाधन विभाग :	05
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण :	05
गृह विभाग (पुलिस) :	02
वाणिज्यिक कर विभाग :	02

(नोट : यह आंकड़े भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एनसीआरबी के 2024 में दर्ज मामलों पर आधारित हैं, हालांकि वर्तमान में मामले बढ़े हैं)

हर विभाग में फैली है भ्रष्टाचार की जड़

- **रिटायरमेंट से पहले रिश्वत लेते इंजीनियर गिरफ्तार :** ग्वालियर नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुशील कटारे को लोकायुक्त पुलिस ने ठेकेदार के रुके बिलों का भुगतान कराने के बदले जुलाई में छह हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा. जबकि कटारे 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले थे.
- **स्वास्थ्य अधिकारी की 2.82 करोड़ की संपत्ति :** जबलपुर नगर निगम के प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी पोला राव के निवास और कार्यालय पर ईओडब्ल्यू ने 16 जून को छापेमारी की. उनके और परिजनों के नाम पर करीब 2.82 करोड़ रुपये की संपत्ति सामने आई. तलाशी में मकान, भूखंड, वाहन, आभूषण, बीमा निवेश और बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज मिले.
- **धान खरीदी में एक लाख की रिश्वत :** सतना जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी केएस शर्मा को रीवा लोकायुक्त की टीम ने 19 अगस्त को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा. धान खरीदी केंद्र में शॉर्टेज के हिसाब का निपटारा कराने के बदले रिश्वत मांगी गई थी.
- **वन विभाग की क्लर्क करोड़ों की आसामी :** मंडला में वन विभाग के क्लर्क श्वेतांक चौरसिया के खिलाफ ईओडब्ल्यू जबलपुर ने 12 अगस्त को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की. शुरुआती आकलन में करीब 2.48 करोड़ रुपये की संपत्ति सामने आई.
- **पंचायत का क्लर्क निकला करोड़पति :** सिवनी में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 क्लर्क सुभाष शर्मा के जबलपुर और सिवनी से जुड़े पांच ठिकानों पर 6 अगस्त को लोकायुक्त ने छापे मारे. प्रारंभिक जांच में उनकी ज्ञात आय से 543 प्रतिशत से अधिक संपत्ति और छह करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की गई.
- **पीडब्ल्यूडी इंजीनियर घूस लेते अरेस्ट :** रीवा में लोकायुक्त ने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर और एक सहयोगी को 11 अगस्त को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा. यह मामला रीवा संभाग में विभागीय स्तर पर कथित रिश्वतखोरी का प्रमाण है.

अप्रैल से सितंबर 2026 125 ट्रैप केस

दुर्गा पंडाल में भगदड़, 17 की मौत

कोलकाता में बारिश के बीच मची अफरा-तफरी, 35 से ज्यादा घायल

नवभारत न्यूज नेटवर्क

कोलकाता, 17 अक्टूबर. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया. उत्तर कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मचने से 17 लोगों की मौत हो गई और 35 से अधिक लोग घायल हो गए.

घायलों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं. हालांकि सरकार की ओर मृतक संख्या की पुष्टि नहीं की गई है. घटना में मृतकों की पहचान की जा रही है. घायलों को तत्काल कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचीं. घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने चिकित्सकों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. हादसे के बाद पंडाल की लाइटें बंद कर दी गई और श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया गया. आयोजकों को भी पूछताछ के लिए बुलाने के निर्देश दिए गए हैं.

बारिश के बीच बढ़ी भीड़ मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सप्तमी की शाम पंडाल में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश से बचने के लिए कई लोग पंडाल के भीतर रुके रहे, जबकि बाहर इंतजार कर रहे श्रद्धालु भी अंदर जाने लगे. इससे भीड़ का दबाव बढ़ गया और धक्का-मुक्की के बीच लोग गिरने लगे. इसी दौरान पंडाल का एक हिस्सा ढह गया.

ममता ने जताया दुख जांच की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे पर दुख जताते हुए घटना की जांच की मांग की. हादसे के बाद पंडाल में भीड़ नियंत्रण, प्रवेश और निकास के इंतजाम तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं. प्रशासन घटना के कारणों की जांच कर रहा है. मृतकों की संख्या और घायलों की स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.

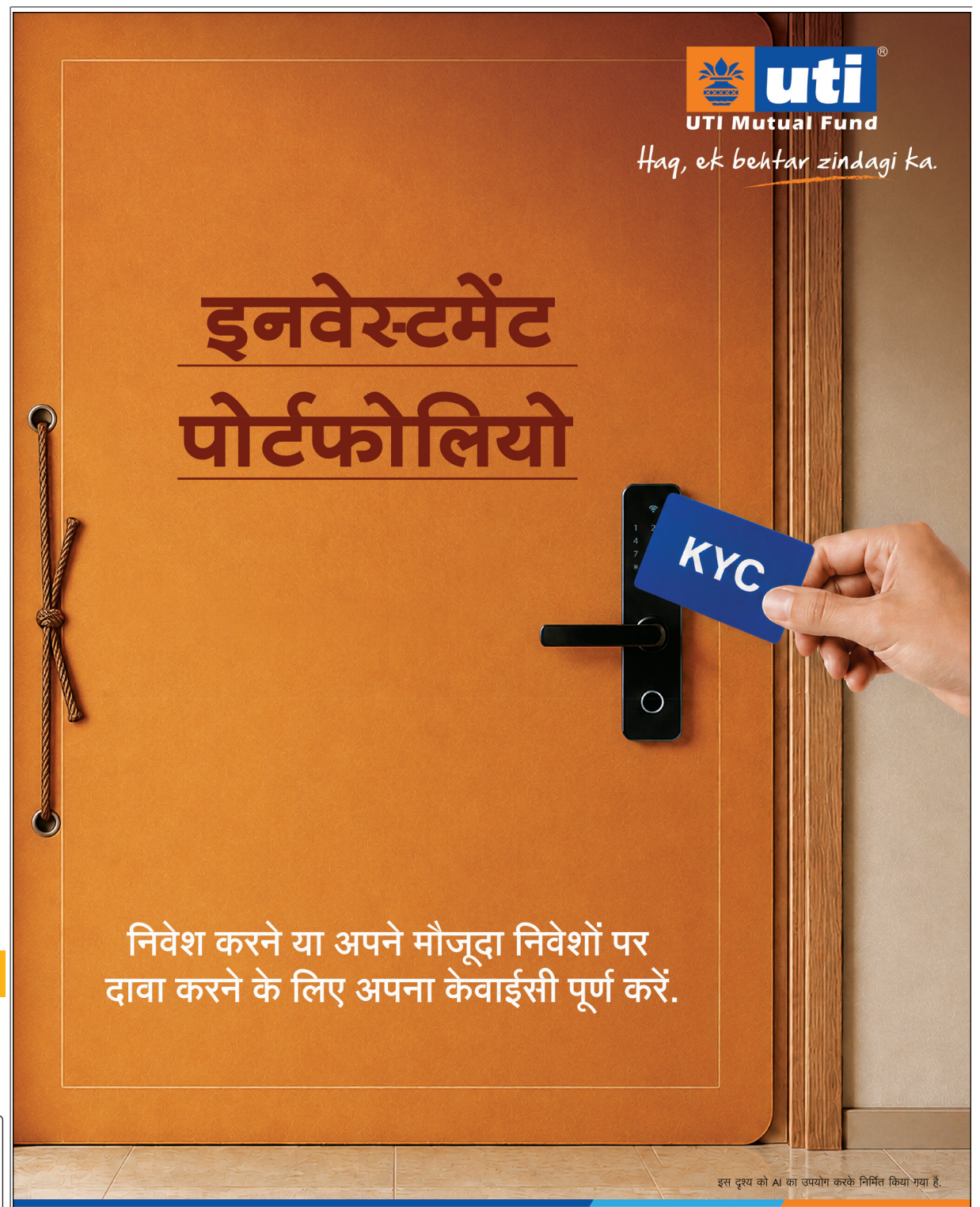

नो योर कस्टमर (KYC) म्युचुअल फ़ंड्स में निवेश करने और मौजूदा निवेशों पर दावा करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है. यदि आपने अपना केवाईसी पूर्ण नहीं किया है तो आप किसी भी म्युचुअल फ़ंड हाउस या अधिकृत इंटरमीडियरी के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं. भूली-बिसरी म्युचुअल फ़ंड होल्डिंग्स का पता लगाने या अपने दावारहित निवेशों पर दावा करने के लिए कृपया **म्युचुअल फ़ंड इनवेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट (MITRA)** पोर्टल का उपयोग करें.

अपना केवाईसी स्टेटस www.utimf.com पर देखें या कॉल करें 18002661230

UTI SWATANTRA® India Invest Karo®

यूटीआई म्युचुअल फ़ंड की एक निवेशक शिक्षा और जागरूकता पहल. केवाईसी के लिए दस्तावेजी आवश्यकताओं और पते, फोन नंबर, बैंक विवरण इत्यादि में बदलावों के लिए प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए, कृपया **https://www.utimf.com/servicerequest/kyc.** पर विज़िट करें. कृपया सिर्फ़ ऐसे पंजीकृत म्युचुअल फ़ंड्स के साथ व्यवहार करें जिनके विवरण सेबी की वेबसाइट पर 'इंटरमीडियरीज़/मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन्स' के अंतर्गत सत्यापित किए जा सकते हों. यूटीआई म्युचुअल फ़ंड के बारे में सभी शिकायतें **service@uti.co.in** पर भेजी जा सकती हैं और/या **https://scores.sebi.gov.in** (सेबी स्कोर्स पोर्टल) पर विज़िट करें या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निवेशक **https://smartodr.in/** ऑनलाइन विवाद निपटारा पोर्टल (ओडीआर पोर्टल) पर विज़िट कर सकते हैं.

म्युचुअल फ़ंड निवेश बाज़ार के जोखिमों के अधीन हैं, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.

नया दांव पुतिन से डीजल डील के बाद रूस पर नए प्रतिबंधों से छूट

100% टैरिफ पर ट्रंप का यू-टर्न

वॉशिंगटन, 17 अक्टूबर (एजेंसियां). अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का रास्ता खोलने वाले नए कानून के प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगा दी है. राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए जारी कार्यकारी आदेश से भारत और चीन को तत्काल राहत मिली है. यह फैसला उन नए दंडात्मक प्रावधानों के प्रभावी होने से ठीक पहले आया, जिनका उद्देश्य रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखने वाले देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ाना था. ट्रंप ने 16 अक्टूबर को हस्ताक्षरित आदेश में कहा कि फिलहाल प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों से छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है. इसके लिए कांग्रेस को आवश्यक प्रमाणपत्र भी दिया गया.

भारत को क्यों मिली राहत?

भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद को अपनी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा फैसला बताया है. यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच रूस ने रियायती दरों पर तेल बेचना शुरू किया, जिसका भारत ने लाभ उठाया. इससे भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी. ट्रंप प्रशासन ने 2025 में रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था. अब 100 प्रतिशत टैरिफ का खतरा फिलहाल टल गया है.

भारत रूस से कितना तेल खरीदता रहा?

वर्ष	औसत आयात (प्रतिदिन)
2021	1.02 लाख बैरल
2022	7.40 लाख बैरल
2023	17.9 लाख बैरल
2024	17.4 लाख बैरल
2025	17 लाख बैरल